Order Sheet [Contd] Case No 135/2017 बी.ए

	Case IVU 100	7/ 2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13-04-2017	आवेदकर्गण / आसंपीगण श्रीमती सज्जाबाई व जाहरसिंह की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।	
	वृद्ध महिला है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों ही आवेदकगण	

को अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किए गए और प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक / अभियुक्तगण को नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर दहेज के लिए परेशान करने के आरोप लगाए है। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा आवेदक/अभियुक्त सज्जोबाई को एम.सी. आर.सी. कमांक 1072/17 आदेश दिनांक 16.03.17 एवं जाहरसिंह को एम. सी.आर.सी. कमांक 1071/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 में बचाव पक्ष की ओर से लिए गए इन तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए कि वह दोनों मृतिका से प्रथक निवास करते थे और मृतिका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है और मृतिका के परिवार वाले झूठे आरोप लगा रहे है, पर विचार करते हुए दोनों को 60 दिवस की अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने के आदेश प्रदान किए थे।

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक/अभियुक्तगण की शेष अनुसंधान के लिए आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। आवेदक/अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप माननीय उच्च न्यायालय एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1072/17 एवं 1071/17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 में पारित आदेश एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक की ओर से क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 25000/— रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश हो तो उन्हें इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

- आरोपीगण विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगे।
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें।
- प्रकरण के त्विरत निराकरण में सहयोग करेगें।
- जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेगें।

आदेश की प्रति रिमाण्ड पत्रावलि के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म०प्र० ATTEMPTA PROTOS BUTTER BUTTER

WILHER A PARENT BUTTINE BY THE BY THE